फोनः-4103333, 2362400 फैक्सः-0141-2373513 वर्षः 73 संख्याः 292 प्रभात जयपुर, गुरुवार 25 मई , 2023 डाक पं.सं. जयपुर सिटी/001/2021-23 पृष्ठ 8 मूल्य 3.50 रु.

ARBiT

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

epaper.rashtradoot.com

राष्ट्रदूत

Metro

Rashtradoot

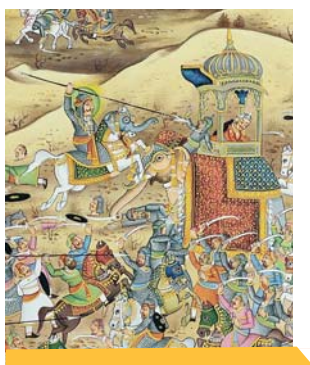

Scorch Earth Policy of Pratap

Villagers breached their own water-reservoirs before abandoning, to prevent enemy forces access to food, fodder and water.

FITNESS: Healthy Habits

Yes, Your Water Can Go Bad

Water doesn't rot or spoil like many foods, but there's definitely a shelf life.

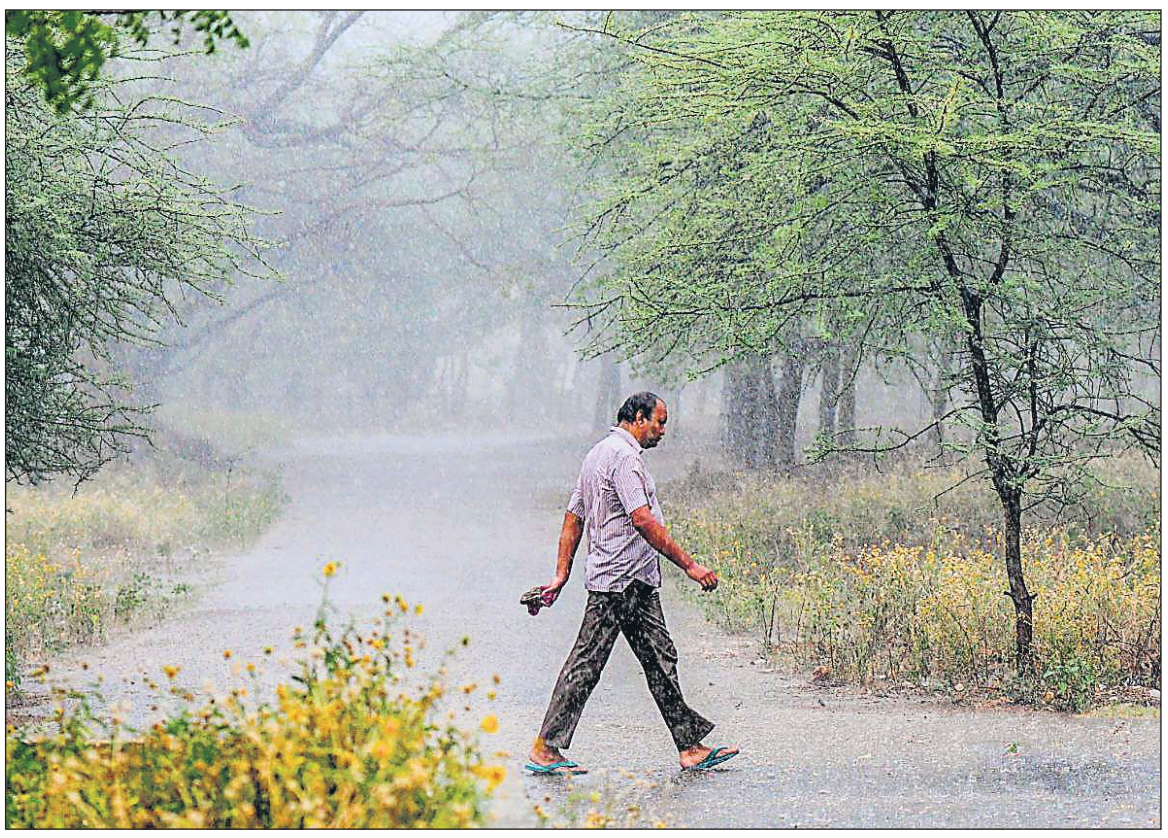

पिछले कुछ दिनों की झुलसाती तेज गर्मी से जयपुरवासियों को बुधवार को बड़ी राहत मिली। राजधानी में बुधवार दोपहर 12 बजे से देर रात तक तेज बारिश का दौर चलता रहा। ऐसा लगा मानो "सावन की झड़ी लगी हो"। तूफानी हवाओं के साथ शहर में कुछ स्थानों पर ओले भी गिरे। करीब चार घंटे में ही दिन का तापमान 36 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 17 डिग्री पर आ पहुंचा। झमाझम बारिश के कारण जयपुर का मौसम एकदम खुशनुमा हो गया। हालांकि, बारिश के कारण शहर में जगह-जगह सड़कों पर पानी भर गया, जिससे लोगों को कुछ परेशानियाँ भी उठानी पड़ी। शाम साढ़े पांच बजे तक मौसम विभाग ने जयपुर शहर में 13.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की। जयपुर के नजदीक जोबनेर, कालवाड़, फुलेरा, सांभर व रेनवाल में भी तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई।

'प्रजातंत्र की आत्मा, खींच कर, संसद से निकाली गई है'

'अतः हम नये संसद भवन को महत्वहीन मानते हैं, और उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करेंगे'

- 19 विपक्षी पार्टियों ने नये संसद-भवन के बारे में एक संयुक्त वक्तव्य देकर बायकाट की घोषणा की।
- विपक्ष के अनुसार, ''संविधान की धारा 79 में यह भी स्पष्ट लिखा है कि, भारत के राष्ट्रपति व संसद के दोनों सदन मिलकर संसद का गठन होता है।
- ''राष्ट्रपति के देश के राष्ट्राध्यक्ष ही नहीं हैं, बल्कि संसद का अभिन्न अंग हैं। राष्ट्रपति, संसद के सत्रों को आहूत करते हैं, तथा सत्रावसान करते हैं, तथा संसद को संबोधित करते हैं। तथा संसद द्वारा पारित विधेयकों को स्वीकृत करके लागू करते हैं। संसद बिना राष्ट्रपति के काम नहीं कर सकती।''
- ''अतः प्र.मंत्री द्वारा स्वयं नये संसद भवन का उद्घाटन करना, देश के राष्ट्रपति की अवहेलना व अपमान है।''
- पर, चार गैर भाजपा विपक्षी पार्टियां इस बहिष्कार में शामिल नहीं हैं। उड़ीसा की बी.जे.डी., तेलंगाना की बी.आर.एस., आंध्र की वाय.एस.आर. सी.पी., तथा उत्तर प्रदेश की बसपा, विपक्ष की घोषणा के पक्ष में खड़ी नहीं हुई।

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 24 मई। देश में लोकतंत्र की हालत पर दुखभरी टिप्पणी करते हुये, 19 विपक्षी दलों, जिनमें कांग्रेस भी शामिल हैं, ने आज एक संयुक्त वक्तव्य जारी कर दिया। वक्तव्य में घोषणा कर दी कि वे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा रविवार को किये जा रहे नये संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करेंगे।

विपक्षी दलों ने एक संयुक्त घोषणा में कहा, "जब संसद से लोकतंत्र की आत्मा ही खींच कर निकाल दी गई है तो हमें इस नये भवन का कोई मूल्य नज़र नहीं आता। हम नये संसद भवन के उद्घाटन के बहिष्कार के अपने सामूहिक निर्णय की घोषणा करते हैं।"

इस वक्तव्य को जारी करने वाले दल हैं- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, द्रमुक, आम आदमी पार्टी, शिव सेना (यू.बी.टी.), समाजवादी पार्टी, कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, झारखंड मुक्ति मोर्चा, केरल कांग्रेस (मणि), विदुथलाई चिरुथाइगल काची, राष्ट्रीय लोक दल, तृणमूल कांग्रेस, जनता दल (यूनाइटेड), नैशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी), राष्ट्रीय जनता दल, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, नैशनल कॉन्फ्रैंस, रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी तथा एम.डी.एम.के., मुनेत्र कणगम।

एक वक्तव्य में पार्टियों ने कहा कि नये संसद भवन का उद्घाटन एक महत्वपूर्ण अवसर है। पार्टियों ने कहा, "हमारी यह मान्यता है कि सरकार लोकतंत्र के लिये संकट पैदा कर रही है तथा जिस स्वैच्छाचारी तरीके से यह संसद भवन बनवाया गया था, उस तरीके की निन्दा के बावजूद, हम मतभेदों को भुलाने तथा इस अवसर को पूरा महत्व देने के लिये खुले मन से तैयार थे। किन्तु, प्रधानमंत्री का यह निर्णय कि वे राष्ट्रपति मुर्मू को पूरी तरह नज़र अदांज करते हुए नये संसद भवन

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

क्या आपको कम सुनाई देता है।
कान की मशीनें
स्पीच थैरेपी
फ्री सुनाई की जाँच
TRIAL OF HEARING AID
CALL FOR APPOINTMENT
+91 94602 07080
PERFECT SPEECH AND HEARING SOLUTIONS
Tonk Road, JAIPUR | Vaishali Nagar, JAIPUR
www.perfecthearingsolutions.com

'मणिपुर के जातीय दंगों के लिये भाजपा पूर्णतया जिम्मेवार'

'कांग्रेस ने यह भी कहा कि, प्र.मंत्री व गृह मंत्री कर्नाटक के चुनाव में पूर्णतया व्यस्त थे, अतः मणिपुर में भाजपा के मु.मंत्री, ने मेईती व कुकी पार्टियों का ध्रुवीकरण करवाया'

- कांग्रेस के प्रवक्ता अजॉय कुमार ने भाजपा पर यह आरोप लगाया और कहा, ये दोनों जातियां दशकों से साथ-साथ, शांति से रहती आई हैं।
- पर, मणिपुर के मु.मंत्री ने दोनों जातियों में द्वेष फैलाकर दंगों को हवा दी।

-जाल खंबाता
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 24 मई। कांग्रेस ने मणिपुर में इतनी भारी हिंसा भड़काने के लिए सीधे तौर पर भाजपा और केन्द्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। कांग्रेस ने कहा जब मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा था तब प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक में चुनावी सभाओं में व्यस्त थे।

कांग्रेस के प्रवक्ता डॉ. अजय कुमार ने एक प्रैसा कॉन्फ्रैंस में कहा कि मणिपुर के दो समुदायों के बीच कभी भी इतनी भारी हिंसा नहीं हुई। इन दोनों समुदायों को भाजपा ने ध्रुवीकृत किया है। कुमार ने कहा कि मेईती और कुकी समुदायों में पहले कभी भी ऐसी हिंसा नहीं हुई। उन्होंने कहा कि मणिपुर के मुख्यमंत्री जनता को बांट रहे हैं, उन्होंने कुकी लोगों को जंगल छोड़ने को मजबूर किया, चर्च नष्ट किए, उन्होंने चिंता जताई कि वहां राजनैतिक नेताओं के हाथ में कुछ भी नहीं रहा है, दोनों समुदायों के अतिवादी तत्व अपनी मनमानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नेता आतंकवादियों की तरह बात कर रहे हैं। हिंसा की शुआत 5 मई को हुई थी पर 70 शव अभी भी इम्फाल अस्पताल के मुर्दाघर में पड़े हैं। कुमार ने कहा, मणिपुर संवेदनशील राज्य है। वर्ष 2016 में भी वहां ऐसी हिंसा हुई थी तब भी चन्द्रपुर अस्पताल के मुर्दा घर मे दस शव पूरे 100 दिन तक पड़े रहे, कोई उन्हें लेने नहीं आया।

उन्होंने कहा कि डरे सहमे लोगों का पुनर्वास किया जाए क्योंकि इम्फाल को छोड़कर कहीं भी सुरक्षा का दावा नहीं किया जा सकता है। कुमार ने कहा कि महासचिव मुकुल वासनिक एवं पूर्व मुख्यमंत्री इबोबी सिंह के नेतृत्व वाले हमारे प्रतिनिधि मंडल वाले हमारे पूर्व मुख्यमंत्री इबोबी सिंह के नेतृत्व वाले हमारे प्रतिनिधि मंडल ने देखा कि राहत शिविरों में सरकार और व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है।

कुमार ने कहा कि मरने वालों के परिवारों को न्यूनतम 20 लाख रु. और गंभीर रुप से घायलों को 5 लाख रु. और मामूली घायलों को एक लाख रु. का हर्जाना दिया जाए।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस की मांग है कि प्रधानमंत्री व गृहमंत्री तुरंत दोनों समुदायों के नेताओं से बात करें। उन्होंने कहा कि मीडिया समस्या की गंभीरता को समझे जहां 54,000 लोग विस्थापित हो गए है और जिनके पुनर्वास की जरुरत है।

'नैक्सा एवरग्रीन केस के आरोपियों का अपराधिक रिकॉर्ड पेश किया जाए'

जयपुर, 24 मई (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश में हजारों लोगों से 2700 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी करने के प्रकरण में आरोपियों का संपूर्ण आपराधिक रिकॉर्ड एक सप्ताह में पेश करने के आदेश दिए है। जस्टिस उमाशंकर व्यास की एकलपीठ ने यह आदेश आरोपी ठग रणवीर सिंह बिजारणिया व अन्य आरोपियों की ओर से दायर जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए।

जमानत याचिका में कहा गया है कि, प्रकरण में आरोप पत्र पेश हो चुका है और याचिकाकर्ताओं का शिकायतकर्ता से राजीनामा हो गया है, ऐसे में उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए। इस मामले में झोटवाड़ा थाने में पांच सौ से अधिक पीड़ितों की ओर से दर्ज एफ.आई.आर. में परिवादी पक्ष से अधिवक्ता राजेश चौधरी पेश हुए। उन्होंने अदालत को बताया कि

- राजस्थान हाई कोर्ट ने 2700 करोड़ के इस ठगी केस के आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि, इन आरोपियों का अपराधिक रिकॉर्ड एक सप्ताह में पेश किया जाए।

आरोपियों ने हजारों लोगों से कई हजार करोड़ रुपए की ठगी की है। ऐसे में उन्हें जमानत नहीं दी जाए। इस पर याचिकाकर्ता के वकील एसएस होरा ने आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि, प्रकरण सीकर से जुड़ी एफ.आई.आर. का है और शिकायतकर्ताओं का उससे राजीनामा हो गया है। ऐसे में अधिवक्ता राजेश चौधरी को इस प्रकरण में पक्ष रखने का अधिकार नहीं है। इस पर अदालत ने एक सप्ताह में आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड पेश करने के आदेश दिए हैं।

गौरतलब है कि, सेना से रिटायर रणवीर सिंह व अन्य आरोपियों पर आरोप है कि, उन्होंने प्रदेश के हजारों लोगों को गुजरात की धोलेरा सिटी में जमीन में निवेश करने पर भारी-भरकम रिटर्न का झांसा दिया। आरोपियों ने चौदह माह में

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

उद्धव ने भी केजरीवाल को पूर्ण समर्थन दिया

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 24 मई। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि "देश और लोकतंत्र को बचाने के लिए हम सब साथ हैं।" इसके एक दिन पहले ममता बनर्जी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आश्वासन दिया थाकि तृणमूल कांग्रेस राज्यसभा में केन्द्र के अध्यादेश का विरोध करेगी।

- उद्धव ठाकरे ने केजरीवाल से कहा है कि, दिल्ली के संबंध में पारित अध्यादेश के मसले पर संसद में शिव सेना आम आदमी पार्टी का साथ देगी।

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरने ने बुधवार को दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार को समर्थन दिया और केन्द्र के अध्यादेश का विरोध किया जिसमें राष्ट्रीय राजधानी के सभी अफसरों की नियुक्ति व तबादले में राज्यपाल की भूमिका अंतिम मानी गई है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

रेल वैगन पहिये बनाने के लिये नया प्लान्ट लगेगा

एक हजार करोड़ की लागत से बनने वाले इस प्लांट में प्रतिवर्ष 2,00,000 पहिये बनेंगे

- एशिया का यह सबसे बड़ा प्लांट रेलवे की पहियों की ''डिमांड'' की अगले बीस वर्ष तक सप्लाई कर सकेगा, तथा नई प्रतिष्ठित हाई स्पीड ट्रेन्स जैसे वंदे भारत व मुम्बई-अहमदाबाद के लिये प्रस्तावित हाई-स्पीड ट्रेन्स के पहियों की डिमांड की भी पूर्ति करेगा।

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 24 मई। रेल के पहियों के निर्माण एवं निर्यात में छलांग लगाने की रणनीति के तहत, भारत में गत सप्ताह ''रामकृष्ण फोर्जिंग्स'' तथा ''टीटागढ़ वैगन्स'' के साथ संयुक्त रूप से अनुबंध कर लिया है कि वे 2,00,000 फोर्ज्ड व्हील्स की वार्षिक उत्पादन-क्षमता प्राप्त करने की व्यवस्था करें। जॉइंट वैन्चर (जे.वी.) कंपनी इस फैक्ट्री, जो अपनी किस्म की एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री होगी, बनाने के लिये करीब 1,000 करोड़ रू. का निवेश करेगी। अनुबंध की शर्तों के अनुसार, यह फैक्ट्री, जो अपेक्षानुसार, 2025 तक काम शुरु कर देगी, अगले 20 वर्ष तक भारतीय रेलवे को 80,000 पहिये प्रतिवर्ष सप्लाई करेगी।

रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने हाल ही में कहा था कि इस टेन्डर का उद्देश्य इंडियन रेलवे (आई.आर.) ककी आयात-निर्भरता को कम करना है।

उन्होंने आगे कहा कि इस प्लांट द्वारा निर्मित पहियें का उपयोग सेमी-हाई स्पीड ''वंदे भारत'' ट्रेनों तथा मुम्बई-अहमदाबार हाई स्पीड ट्रेन में किया जायेगा।

पिछले वर्षों में, आई.आर. की पहियों की आवश्यकता को बेंगलुरु तथा बेला में स्थित व्हील निर्माण करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के दो प्लांट काफी हद तक पूरा करते रहे हैं। किन्तु आई.आर. के पास फोर्ज्ड व्हील्स की कमी रही है तथा इस आवश्यकता की पूर्ति पिछले वर्षों में अधिकांशतः पूर्वी यूरोपीय देशों से पहियों के आयात से की जाती रही है। निजी कम्पनियों को रेल-व्हील-निर्माण क्षेत्र प्रवेश देने की आई आर की पहल, बड़े पैमाने पर व्हील-निर्माण करने के घोषित लक्ष्यों के कारण की गई है, जिससे कि देश रेल पहियों के मार्केट में एक बड़ा निर्यातक बन सकें।

रेल के पहियों की जरूरत 2022 के बाद बहुत बढ़ी है क्योंकि आई आर ने 90,000 वैगन बनाने तथा 400 वन्दे भारत से भी हाई स्पीड ट्रेनों के निर्माण के बहुत बड़े अनुबल्प दे दिये थे। इसके अलावा, ईएमयू, ईएमडी लोकोमोटिवों, मेट्रो ट्रेनों तथा कोचों की संख्या भी बढ़ा दी गई थी।

रोचक बात यह है कि तीन वर्ष के विलम्ब के बाद, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आर आई एन एल) जो

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'हमको जे.डी.ए. से पट्टा नहीं मिल रहा, इसलिए हमको बिजली के कनैक्शन भी नहीं मिल रहें'

सुनवाई के दौरान वकीलों ने खुला आरोप लगाया कि, जे.डी.ए. पट्टे इसलिए नहीं दे रही क्योंकि पट्टों के वितरण कैंप नहीं लग रहे और पट्टा वितरण कैंप आयोजित कराने के लिए अधिकारियों की जेब गरम नहीं की गई

- वकीलों के इस स्पष्ट आरोप से अदालत स्तब्ध रह गई।
- न्यायाधीश ने सुनवाई खत्म कर फैसला सुरक्षित किया।

- यादवेन्द्र शर्मा -

जयपुर, 24 मई। जयपुर। राजस्थान हाई कोर्ट में, पृथ्वीराज नगर योजना क्षेत्र में, सहकारी समिति द्वारा काटे गए पट्टों के मालिकों को बिजली कनैक्शन नहीं दिए जाने के संबंध में दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई। अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा है और सभी सम्बंधित पक्षों को तीन दिन का समय दिया है, जिसके भीतर वह अदालत में उन लिखित तथ्यों को प्रस्तुत कर सकते हैं, जिन पर बहस नहीं हो पाई थी।

सुनवाई के दौरान न्यायमित्र पी.एन. भंडारी ने अदालत को पुन: बताया कि यह मामला जे.डी.ए. से जुड़ा हुआ नहीं है और ना ही पट्टे आवंटित करने से संबंधित है। उन्होंने अदालत को बताया कि यह मामला केवल बिजली कनैक्शन से जुड़ा हुआ है, जिसे सुप्रीम कोर्ट भी मौलिक अधिकार घोषित कर चुकी हैं।

उन्होंने अदालत को बताया कि बिजली विभाग यह जाँचने में सक्षम नहीं है कि, जिस उपभोक्ता को बिजली कनैक्शन आवंटित किया जा रहा है, वह जिस भूमि पर काबिज़ है, उस भूमि का वह मालिक है कि नहीं। उन्होंने कहा कि भूमि का मालिकाना हक जाँचने परखने के लिए अलग-अलग संस्थाएं व संगठन मौजूद हैं। अदालत को इस तथ्य से भी अवगत कराया गया कि अगर डिस्कॉम ने किसी अतिक्रमणकारी के पक्ष में बिजली कनेक्शन जारी कर भी दिया, तो भी जे.डी.ए. तथा अन्य संस्थाए अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही का अधिकार रखती हैं और उसे कभी भी हटा सकती हैं। उन्होंने बताया कि केवल बिजली कनेक्शन से जमीन का मालिकाना हक तय नहीं किया जा सकता। बहस के दौरान यह मुद्दा भी सामने आया था कि विवादित भूमि पर काबिज़ व्यक्ति के हक में बिजली कनैक्शन दिया जाए, तो क्या वर्तमान नियमों के अंतर्गत, जिस पार्टी को कनैक्शन मिल रहा है, तो क्या जे.डी.ए. से पट्टा आवंटन करवाने का उसका दावा और मज़बूत हो जाता है?

सुनवाई के दौरान प्रताप नगर क्षेत्र में सहकारी समिति द्वारा काटी गई एक कॉलोनी के निवासी की ओर से भी पक्ष रखा गया था, कि राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा वर्ष 2013 के सुगमसिंह मामले में दिए गए आदेश की वजह से विद्युत विभाग उक्त कॉलोनियों के निवासियों को बिजली कनेक्शन जारी नहीं कर पा रही। क्योंकि अदालत ने बिजली कनैक्शन केवल उन लोगों के पक्ष में जारी करने के आदेश दिये थे जिनके पास जे.डी.ए. पट्टे हैं। याचिकाकर्ता के वकील प्रहलाद शर्मा ने कहा कि वर्ष 2010 में राजस्थान हाई कोर्ट ने आदेश पारित किए थे जिसके तहत पृथ्वीराज नगर योजना की 11000 बीघा से भी अधिक भूमि को सरकार की भूमि घोषित कर दिया गया था और उक्त भूमि को 1974 के शहरी भूमि के डिस्पोज़ल से संबंधित नियमों के तहत ही विकसित या प्लान किया जा सकता है।

उन्होंने अदालत में कहा कि हाई कोर्ट के 2010 आदेशों की अवहेलना करते हुए जे.डी.ए. अधिकारियों ने उनकी कॉलोनी का नियम करने के लिए 13 साल में एक भी भी कैंप नहीं लगाया। उन्होंने कहा कि जब तक कॉलोनी के निवासी अपने स्थानीय डेप्यूटी कमिश्नर (डी.सी.) को पैसे नहीं खिलाते, तब तक जे.डी.ए. कॉलोनी का नियमन करने के लिए कैंप नहीं लगाती। उन्होंने कहा कि वह इस आरोप के संबंध में कोई सबूत पेश नहीं कर सकते, "परन्तु अदालत स्वयं

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पार्सल नहीं पहुंचा, कार्गो कंपनी पर 25,000 रू. का जुर्माना

जयपुर, 24 मई (का.सं.)। जिला उपभोक्ता आयोग जयपुर-द्वितीय ने गंतव्य जगह पर साडी के पार्सल के नहीं पहुंचने व इसके गुम होने को सेवादोष करार देते हुए विजय एंड कार्गो टूर एंड ट्रेवल्स, जयपुर व उसके प्रबंधक डीएस पूनिया पर 25 हजार रुपए का हर्जाना लगाया है। वहीं आयोग ने पार्सल की राशि 9,450 रुपए भी परिवादी को

- जिला उपभोक्ता आयोग द्वितीय ने पार्सल नहीं पहुंचाने व गुम होने को सेवा दोष माना और विजय एंड कार्गो टूर एंड ट्रैवल्स पर जुर्माना लगाया व परिवादी को सेवा शुल्क (9,450 रू.) ब्याज सहित लौटाने के भी आदेश दिए।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)